जनता धूप में धक्के खाने को मजबूर, उसके पैसे पर पलने वाले अधिकारी कर रहे मौज

– रजिस्ट्री या अन्य शुल्क ऑनलाइन जमा करवाने वाली जनता को धूप मे घंटों करना पड़ता है इंतजार

– बल्लबगढ़ तहसील में आए दिन ठप हो जाता है ई-ग्रास सिस्टम, जनता को होती है परेशानी

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) शुल्क के रूप से सरकार को करोड़ों रुपये राजस्व चुकाने वाली जनता की सुविधा के लिए बल्लबगढ़ तहसील में कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि उसके पैसों पर पलने वाले अधिकारियों की आरामतलबी के सभी साधन मुहैया हैं। इधर जनता को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। दिक्कत तब और बढ़ जाती है जब ऑनलाइन शुल्क जमा करवाने वाला ई ग्रास ठप पड़ जाता है।

फरीदाबाद एस्टेट एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (एफ़ईएडब्ल्यूए) के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार जिस जनता से राजस्व वसूल रही है उसकी सुविधा का भी तो ख्याल रखे। ई ग्रास कार्यालय के बाहर कोई सुविधा नहीं है। लोगों को धूप में लाइन लगानी पड़ती है, अगर सिस्टम ठप हो गया तो घंटो धूप में ही खड़े रहकर इंतजार करने को मजबूर होना पड़ता हैं।

संपत्ति का पंजीकरण कराने के लिए ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं आते हैं। उनके साथ परिवार के सदस्य या बच्चे भी होते हैं। इन लोगों के लिए न तो बैठने की व्यवस्था है न ही साफ सफाई। पंजीकरण करवाने वालों को उनके दस्तावेज भी कई चक्कर लगाने पर 8 से 10 दिन बाद सुविधा शुल्क चुकाने के बाद ही मिल पाते हैं। लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए अधिकारी अधिकतर समय अपने कार्यालय पर मौजूद नहीं रहते बल्कि मोबाइल फोन भी उठाने की जहमत नहीं करते। अधिकारियों के कमरे सुबह 8:30 बजे से शाम छह बजे तक एलईडी, ट्यूबलाइट से जगमगाते रहते हैं। वो बैठें या नहीं, लेकिन उनके कार्यालयों में एसी, कूलर या पंखे चलते ही रखे जाते हैं, ताकि जब वह चंद मिनट के लिए भी आएं तो कमरा ठंडा मिले। उनकी सेवा टहल के लिए कर्मचारी भी मौजूद रहते हैं। अधिकारियों की सुविधा के लिए जेनरेटर की व्यवस्था है। इसके डीजल का बिल, एनुअल मेंटिनेस चार्जेज व ऑपरेटर की तनख्वाह के नाम पर भी लूट कमाई चल रही है।

एफ़ईएडब्ल्यूए ने चेतावनी दी है कि यदि जनता की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो उपायुक्त या मंडल कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा।

आईटी नियम-2023: सोशल मीडिया पर सेंसरशिप

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

प्रिंट मीडिया व टीवी चैनल पर मोदी सरकार का वर्चस्व स्थापित होने के बाद सरकार को असहजता का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, वाट्सअप, सिग्नल, इंस्टाग्राम आदि पर मोदी सरकार की नीतियों, कार्यशैली, कार्यों आदि पर प्रश्नात्मक पोस्ट लिखने व प्रकाशित होने से सरकार असहज हो जाती है। इसलिए फेक न्यूज व भ्रामक न्यूज की आड़ में सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)नियम 2021 में संशोधन करके आईटी नियम-2023 बनाया है।

नए नियमों में प्रावधान रखा गया है कि केंद्रीय सरकार की नीतियों व कार्यों की आलोचनात्मक पोस्ट को फाल्स न्यूज या भ्रामक कंटेंट लेबल करने के लिए सरकार फेक यूनिट, फैक्ट चेक बॉडी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी)का गठन करेगी। इस फैक्ट चेक यूनिट को यह निर्धारित करने की असीमित शक्तियां होंगी कि केंद्र सरकार के किसी भी कामकाज से संबंधित कौन सी खबर फर्जी या गुमराह करने वाली है? इस तरह की सामग्री की अनुमति नहीं देने और प्रकाशित होने पर उन्हें हटाने का निर्देश देने के लिए यह फैक्ट चेक यूनिट अधिकृत होगा। इससे सोशल मीडिया कंपनियां व इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आईटी एक्ट की धारा 79 के अंतर्गत प्राप्त 'सेफ सर्वर' सुरक्षा खोने का खतरा रहेगा।

एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया तथा इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी ने इन संशोधनों का कड़ा विरोध करते हुए आईटी नियम 2023 को वापस लेने की मांग की है। केंद्र सरकार के किसी भी कामकाज से संबंधित किसी भी खबर को फेक न्यूज या भ्रामक कंटेंट लेबल करने का अधिकार सेंसरशिप के समान है और यह संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त प्रेस की स्वतंत्रता तथा मीडिया व जनता के विचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार पर कुठाराघात है। स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के पास यह असीमित अधिकार होगा कि सरकार निर्धारित करे कि इंटरनेट पर हमें क्या देखना है, क्या पढ़ना है और क्या सुनना है।

दरअसल आईटी नियम-2023 के अंतर्गत मोदी सरकार के किसी भी कार्य से संबंधित सूचना व खबर को भ्रामक अथवा फेक न्यूज करार देकर उसे सोशल प्लेटफार्म से हटवाकर प्रधानमंत्री मोदी की एक कुशल प्रशासक व विकास पुरुष की छवि बनाने की कवायद है। गौरतलब है कि विपक्ष, सोशल एक्टिविस्ट व संगठनों ,एनजीओ तथा बुद्धिजीवियों के विरुद्ध प्रकाशित सूचना व पोस्ट को फेक न्यूज व भ्रामक कंटेंट लेबल करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट अधिकृत नहीं है। इस प्रकार आईटी नियम-2023 प्रेस व सोशल मीडिया पर नकेल कसने की कवायद है जो कि एक तरह से भारत में प्रेस की सेंसरशिप तथा तानाशाही शासन जैसी स्थिति लागू करने का प्रयास है।

जरूरतमंदों को लूट रहा ब्याज माफिया

– 60 से 120 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से वसूलते हैं सूद

– साहूकार अधिनियम के तहत अधिकतम 24 प्रतिशत सालाना ही ले सकते हैं ब्याज

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) कामगारों के शहर फरीदाबाद में ब्याज माफिया ने आतंक मचा रखा है। जरूरतमंद को पांच से दस प्रतिशत प्रति माह ब्याज पर छोटी-मोटी रकम देकर यह माफिया उनसे मूल धन का कई गुना अधिक वसूल लेता है, यदि धन देने में थोड़ी देर हुई तो रकम लेने वाले का घर, जमीन भी कब्जा कर लेता है। मध्यमवर्गीय लोगों से ब्लैंक चेक लेकर उन्हें ब्लैकमेल कर मूल से कई गुना अधिक रकम ऐंठने के बाद भी उन्हें परेशान करता है। एडवोकेट शिव कुमार जोशी ने पुलिस आयुक्त को पत्र लिख कर लोगों को आतंकित कर लूटने वाले ब्याज माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

एसके जोशी, एडवोकेट ने उठाया मुद्दा

एसजीएम नगर निवासी 68 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने सूदखोरी का काम करने वाले यशपाल बवेजा से मार्च 2016 में दो लाख रुपये लिए थे। यशपाल ने उनसे सिक्योरिटी के नाम पर पंद्रह ब्लैंक चेक लिए थे। उनका आरोप है कि यशपाल ब्लैंक चेक में बड़ी रकम भरने की धमकी देकर अभी तक उनसे 7,67,400 रुपये वसूल चुका है। चेक भी नहीं लौटा रहा है। उन्होंने एसजीएम नगर थाने में शिकायत दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यशपाल की पत्नी मोनिका भी सूदखोरी का काम करती है। मोनिका ने एसजीएम नगर निवासी पूजा को सात महीने पहले बीस हजार रुपये पांच प्रतिशत प्रतिमाह के ब्याज पर उधार दिए थे। उससे ब्लैंक चेक लेकर मोनिका ने साढ़े चार लाख रुपये भर कर बैंक में लगा दिए। खाते में रुपये नहीं होने के कारण चेक डिसऑनर हो गया, अब मोनिका पूजा को धमकियां दे रही है। पीड़िता ने भी एसजीएम नगर थाने में शिकायती पत्र दिया लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

सेक्टर 23 निवासी सरदार वीरेंद्र सिंह ने सूदखोर संजीव से 2014 में 1.90 लाख रुपये चार प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज पर उधार लिए थे। वीरेंद्र सिंह के मुताबिक वह संजीव को अभी तक करीब दस लाख रुपये दे चुके हैं बावजूद इसके वह ब्लैंक चेक नहीं लौटा रहा और घर बिकवाने, परिवार का सुख-चैन छीनने की धमकी देकर और पैसों की मांग कर रहा है। उन्होंने मुजेसर थाने में मार्च में शिकायत दी लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

एडवोकेट शिव कुमार जोशी के मुताबिक ब्याज माफिया ब्लैंक चेक लेकर उधार दी गई रकम से कई गुना ज्यादा रकम उसमें भरते हैं। कानून की नजर में यह दस्तावेज में फर्जीवाड़ा करना और धोखाधड़ी है। रुपये ऐंठने के लिए धमकी देना भी अपराध है। यह गैर जमानती अपराध हैं और इनमें सात से दस साल की सजा का प्रावधान है। वह आश्चर्य जताते हैं कि इतने संगीन जुर्म के बावजूद पुलिस ब्याज माफिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? उन्होंने पुलिस आयुक्त को पत्र लिख कर ब्याज माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर आम जनता को राहत दिलाने की मांग की है। संदर्भवश सुधी पाठक जान लें ब्याज का कारोबार करने के लिए भारत सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। बिना लाइसेंस के यह अवैध कारोबार स्थानीय प्रशासन और पुलिस से मिलीभगत के बगैर नहीं चल सकता।

32 महीने भी नहीं चल पाएगी 32 लाख में बनी हार्डवेयर चौक की सड़क

महज पचास मीटर की सड़क बनाने में लगा दिया एक महीना

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) शहर को बेहतर ढंग से विकसित करने के लिए बनाया गया एफमडीए भी नगर निगम की तर्ज पर नाकारा और भ्रष्टाचारी साबित हो रहा है। हार्डवेयर चौक पर 32 लाख रुपये लागत से बनाई जा रही मैस्टिक अस्फाल्ट की सड़क घटिया निर्माण के कारण 32 माह भी चल पाएगी, इसमें अंदेशा है।

हार्डवेयर चौक बीके चौक, बाटा चौक, प्याली चौक और सोहना रोड को जोड़ता है इसलिए यह शहर की व्यस्ततम सड़कों में शामिल है। यहां हल्के-भारी सभी तरह के वाहनों का आवागमन है। कई वर्षों से उखड़ी पड़ी इस चौक की करीब पचास मीटर सड़क की मरम्मत का काम एफएमडीए ने 24 मार्च को शुरू कराया था।

अधिकारियों ने दावा किया था कि मजबूत और लंबी उम्र के लिए सड़क पर मैस्टिक अस्फाल्ट यानी तारकोल की मोटी परत बिछाई जाएगी। मरम्मत कार्य में शुरू से ही लापरवाही बरती गई। मरम्मत के नाम पर दो सप्ताह में केवल लाल डस्ट की परत डाली गई। मज़दूर मोर्चा ने लापरवाही की खबर छापी तो आनन-फानन गिट्टी-तारकोल की परत बिछवाई गई। तारकोल इतना कम लगाया गया कि गिट्टी सड़क छोड़ने लगी। बूंदाबांदी से हल्का जलभराव हुआ तो गिट्टियां तारकोल से और भी अलग हो गईं। इसी हालत में अब सड़क पर मैस्टिक अस्फाल्ट की परत बिछाई जा रही है। सड़क निर्माण के जानकारों का मानना है कि यदि आधार ही मजबूत नहीं होगा तो उस पर बिछाई जाने वाली लेयर ज्यादा दिन नहीं टिक सकेगी। जनता के पैसे से बनाई जा रही हार्डवेयर चौक की इस सड़क की गुणवत्ता पहली ही बरसात में उजागर हो सकती है।